न्यूज़ टुडे

कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

यह प्रोत्साहन योजना **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)** का हिस्सा है।

- **महत्वपूर्ण खनिजों या क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण** का उद्देश्य **नई खनन प्रक्रियाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की बजाय** निकट भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)

- NCMM का उद्देश्य **2024-25 से 2030-31** तक घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके **भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित** करना है।
- NCMM संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को कवर करता है। इन चरणों में **खनिज अन्वेषण, खनन, संवर्धन, प्रसंस्करण, और एंड-ऑफ-लाइफ उत्पादों से पुनः प्राप्ति** शामिल है।

इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वित्तीय परिव्यय:** ₹1,500 करोड़।
- **योजना की अवधि: छह वर्ष** (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक)।
- **पात्र फीडस्टॉक:** इसमें **ई-अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप, तथा अन्य स्क्रैप जैसे कि एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों से निकले कैटेलिटिक कन्वर्टर्स** शामिल हैं।
- **लाभार्थी:** बड़े और छोटे दोनों/ नए पुनर्चक्रणकर्ता (स्टार्ट-अप्स सहित), छोटी संस्थाओं के लिए एक-तिहाई परिव्यय।
- **प्रोत्साहन संबंधी प्रणाली:**
  - समय पर उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी संबंधी **पूंजीगत व्यय पर 20% सब्सिडी।**
  - **वृद्धिशील बिक्री पर परिचालन व्यय संबंधी सब्सिडी:** यह वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक **दूसरे वर्ष में 40% और 5वें वर्ष में 60%** प्रदान की जाएगी।
- **प्रोत्साहन की सीमा: बड़ी संस्थाओं** के लिए कुल प्रोत्साहन सीमा **50 करोड़ रुपये** तथा **छोटी संस्थाओं** के लिए **25 करोड़ रुपये** है।
- **इससे मिलने वाले परिणाम:**
  - **270 किलोटन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता** विकसित होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप, वार्षिक आधार पर **40 किलोटन महत्वपूर्ण खनिज** का उत्पादन होगा।
  - इससे **8,000 करोड़ रुपये का निवेश** आकर्षित होने की संभावना है।
  - इससे **70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार** पैदा होंगें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025' अधिसूचित किए

ये नियम **पूरे देश में पर्यावरण ऑडिट के लिए एक औपचारिक ढांचा** तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य **देश में पर्यावरण अनुपालन की निगरानी को बेहतर** बनाना और भारत में कारोबार करने को आसान बनाना है।

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं

- **पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी (EADA):** EADA की जिम्मेदारियों में **ऑडिटर्स का प्रमाणन, पंजीकरण, निगरानी और प्रशिक्षण** शामिल हैं।
- **पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर्स (REAs):** ऑडिट का कार्य केवल REAs द्वारा ही किया जाएगा।
  - पर्यावरण ऑडिटर्स का प्रमाणन या तो **उनकी योग्यता और अनुभव की जांच के आधार पर या परीक्षा** के माध्यम से किया जाएगा।
  - **निष्पक्षता सुनिश्चित** करने के लिए REAs को **रैंडम यानी यादृच्छिक तरीके से नियुक्त** किया जाएगा।
- **REAs की जिम्मेदारियां:** ऑडिटर्स अनुपालन मूल्यांकन और नमूना संग्रहण, मुआवजा गणना, ग्रीन क्रेडिट नियमों के तहत सत्यापन, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत ऑडिट तथा अन्य पर्यावरण एवं वन संबंधी कानूनों के तहत संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।
- **दो-स्तरीय प्रणाली:**
  - **स्तर-1:** इसमें मौजूदा **सरकारी विनियामक संस्थाओं द्वारा अनुपालन की समीक्षा** शामिल है। ये संस्थाएं हैं- **CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), SPCBs (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)** और **मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (ROs)।**
  - **स्तर-2:** इसमें पर्यावरणीय ऑडिटर्स आधारित व्यवस्था शामिल है।

- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC):** नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- **CPCB/ SPCB/ ROs:** निरीक्षण और सत्यापन की भूमिका जारी रखेंगे तथा MoEFCC को नियमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेंगे।
- **निगरानी तंत्र:** MoEFCC के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक संचालन समिति प्रगति की निगरानी करेगी और सुधारों का सुझाव देगी।

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) को स्कूलों के साथ स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

ये दिशा-निर्देश **शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने मिलकर जारी किए हैं, जो **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के विज़न के अनुरूप हैं।

- NEP 2020 में **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)** को सीखने का आधार माना गया है। इसमें **5+3+3+4 संरचना के तहत 3 साल की प्री-स्कूल शिक्षा** को शामिल किया गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने के उद्देश्य

- प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की **आंगनवाड़ी केंद्रों से कक्षा 1 तक स्कूल तैयारी और सुचारू स्थानांतरण** सुनिश्चित करना।
- **अवसंरचना का बेहतर उपयोग** करना, **स्कूल तैयारियों को बढ़ाना** और शिक्षा व पोषण क्षेत्रों के बीच तालमेल मजबूत करना।
- **सीखने और विकासात्मक परिणामों** को बेहतर बनाना।

वर्तमान स्थिति

- **14 लाख** से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं और **9.16 लाख स्कूलों में ग्रेड 1 की कक्षाएं हैं,** जिनमें से **2.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र** पहले से ही इन स्कूलों के साथ स्थापित हैं।

प्रमुख सिफारिशें

- **दूरी:** शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के साथ स्थापित स्कूलों की आंगनवाड़ी से दूरी **500 मीटर से अधिक नहीं** होनी चाहिए और **ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किमी से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
- **प्राथमिकता:** उन आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जहां अधिकांश बच्चे हाशिए पर रहने वाले समूहों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनजातीय क्षेत्र और प्रवासी परिवार) से संबंधित हैं।
- **कक्षा की उपलब्धता: सह-स्थापना उन स्कूलों के साथ प्राथमिकता** से की जानी चाहिए, जिनमें कक्षा 1 है, लेकिन पहले से कोई **बालवाटिका/ प्री-प्राइमरी कक्षा नहीं** है।
- **अलग प्रवेश द्वार:** स्कूलों के साथ स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में **अलग प्रवेश और निकास द्वार** होने चाहिए।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) के लिए पहलें

- **आंगनवाड़ी सेवाएं:** ये **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** के तहत लागू की गई हैं।
  - ये **6 सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है:** पूरक पोषण, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, और रेफरल सेवाएं।
- **सरकारी स्कूलों में प्री-स्कूल शिक्षा सुविधाएं: समग्र शिक्षा** के लिए निर्मित फ्रेमवर्क में **स्कूलों में प्री-स्कूल कक्षाओं को जोड़ने** और स्कूल परिसर के भीतर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) को मजबूत करने का बजटीय प्रावधान किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों को मंजूरी दी

GST परिषद की **56वीं बैठक** में GST कर संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई। इनका उद्देश्य आम लोगों पर कर का बोझ कम करना है।

किए गए प्रमुख सुधारों पर एक नजर

- **दो-दर वाली कर स्लैब संरचना:** GST को **5% (मेरिट दर) और 18% (मानक दर)** में युक्तिसंगत बनाया गया है। **12% और 28% स्लैब** समाप्त कर दिए गए हैं। ये सुधार **22 सितंबर 2025** से लागू होंगे।
- **रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता किया गया: दूध, पनीर, चपाती, परांठे आदि पर शून्य GST तथा प्रसाधन सामग्री, दवाइयों, साइकिल, कृषि उपकरण, आदि पर 5% GST.**
- **कंज्यूमर गुड्स पर राहत: छोटी कारों, TV, AC** और घरेलू उपकरणों पर GST 28% से घटाकर **18%** किया गया।
- **बीमा एवं स्वास्थ्य:** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों एवं **स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों** पर GST से छूट दी गई है।
- **सिन गुड्स जैसे तंबाकू एवं लक्जरी कारों और सॉफ्ट ड्रिंक्स** पर कर को बढ़ाकर **40%** किया गया है।
- **प्रमुख आर्थिक क्षेत्रकों को समर्थन:**
  - **कृषि मशीनरी व उर्वरक क्षेत्रक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर** पर GST को **कम** किया गया है।
  - **मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित यार्न पर इनवर्टेड ड्यूटी संरचना में सुधार** किया गया है।
- **संस्थागत सुधार:** विवादों के तीव्र समाधान के लिए **वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTATA)** को शुरू किया गया है।

GST परिषद के बारे में

- यह **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 279 (A)** के तहत स्थापित एक **संवैधानिक** निकाय है।
- इसका गठन **राष्ट्रपति** द्वारा किया जाता है और **केन्द्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष** होता है।
- **उद्देश्य:** GST की कर दरें निर्धारित करना, संबंधित नीतिगत निर्णय लेना तथा केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना।

देश भर में दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई

दादाभाई नौरोजी एक **भारतीय पारसी विद्वान, व्यापारी** और **राजनीतिज्ञ** थे। उन्हें **"ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया"** और **"ऑफिसियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया"** के नाम से भी जाना जाता है।

- वे **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** के संस्थापक सदस्य और **तीन बार अध्यक्ष (1886, 1893 और 1906)** रहे थे।

दादाभाई नौरोजी के प्रमुख योगदान (1825–1917)

- **सामाजिक सुधार:**
  - **महिला शिक्षा को बढ़ावा:** उन्होंने **1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी** की स्थापना की थी। इस संस्था ने **1849 तक बालिकाओं के लिए 6 स्कूल** स्थापित किए थे।
  - **सुधारवादी विचारों का प्रसार:** उन्होंने **रास्त गोफ्तार** समाचार-पत्र की शुरुआत की थी। **पारसी समाज में सुधार** के लिए **रहनुमाई मज़दायासन सभा (1851)** की सह-स्थापना की थी।
- **आर्थिक योगदान:**
  - **धन के बहिर्गमन का सिद्धांत:** उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने **कराधान, वेतन, पेंशन और विप्रेषण (remittances)** के नाम पर भारत की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा है।
  - **प्रमुख साहित्यिक कृतियां:** पॉवर्टी ऑफ इंडिया (1876), पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) आदि।
  - **औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया:** **ईस्ट इंडिया एसोसिएशन** जैसे मंचों के माध्यम से अंग्रेजों की औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों को उजागर किया।
- **राजनीतिक योगदान:**
  - **उदारवादी नेता:** उन्होंने याचिका, प्रार्थना और विरोध जैसे **संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों** का समर्थन किया था।
    - उन्होंने **1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन** की स्थापना की थी।
  - **ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सांसद:** 1892 के आम चुनाव में **फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी** के लिए चुने गए थे।
  - **स्वराज:** **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के 1906 के अधिवेशन में स्वराज** को एक ठोस राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया था।
- **मार्गदर्शन:** नौरोजी ने **बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी** जैसे भविष्य के कांग्रेसी नेताओं को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सुर्ख़ियां

इक्विटी डेरिवेटिव्स

सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशन पर निगरानी रखने के लिए एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है।

- **1 अक्टूबर से प्रभावी:** SEBI ने प्रत्येक इकाई के लिए **इंडेक्स ऑप्शंस** में नेट इंट्राडे पोजीशन को **5,000 करोड़ रुपये** तक सीमित कर दिया है। इसका उद्देश्य निवेशकों के वित्तीय जोखिम को कम करना है।

इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में

- **डेरिवेटिव्स:** यह **ट्रेडिंग बाजार का एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद** है। इसका मूल्य उस **इंडेक्स में शामिल यानी अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य से तय होता है।**
  - अंडरलाइंग एसेट्स में **इक्विटी शेयर** या खुद इंडेक्स (जैसे निफ़्टी), कीमती धातुएं, कमोडिटीज, करेंसी, ब्याज दरें, आदि हो सकती हैं।
- इक्विटी डेरिवेटिव्स ऐसे उत्पाद होते हैं **जिनका मूल्य आंशिक रूप से एक या अधिक अंडरलाइंग इक्विटी एसेट्स वर्ग से तय होता है।**
  - **फ्यूचर्स** और **ऑप्शंस** कारोबार किये जाने वाले सबसे आम **इक्विटी डेरिवेटिव्स** उत्पाद हैं।

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट

'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' **नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान है।** यह अभियान **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा** पर स्थित करेंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया।

नक्सल-विरोधी अन्य मिशन

- **मिशन संकल्प:** यह **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर** स्थित करेंगुट्टा और आसपास की पहाड़ियों पर शुरू किया गया था।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट:** यह **2009 के अंत में** शुरू किया गया था। यह पांच राज्यों - पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में चलाया गया था।

भारतीय शीशम (Dalbergia latifolia)

एक अध्ययन में पाया गया कि दक्षिण भारत में शीशम वृक्षों का **सबसे कम घनत्व तमिलनाडु में** है।

भारतीय शीशम के बारे में

- यह मुख्य रूप से **एकल तने वाला पर्णपाती वृक्ष है,** जिसके गुम्बदाकार वितान (क्राउन) पर हरे-भरे पत्ते होते हैं। हालांकि, आर्द्र इलाकों में इनके पत्ते नहीं गिरते हैं।
- **इसकी छाल पतली, धूसर (ग्रे) रंग की होती है, जिसमें अनियमित रूप में छोटी-छोटी दरारें मौजूद होती हैं।**
- **आवश्यक औसत वार्षिक वर्षा:** 750-5000 मिलीमीटर
- **खेती के लिए आदर्श मृदा:** लैटेराइट, जलोढ़, काली मिट्टी, आदि।
- **स्थानिक (नेटिव):** भारत, इंडोनेशिया।
- इसके पेड़ केन्या, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम में भी उगाए जाते हैं।
- **उपयोग:** मधुमक्खी पालन में, इमारती लकड़ी में, दवाइयां बनाने में (दस्त, कृमि, अपच और कुष्ठ रोग के इलाज हेतु)।

इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन

खगोलविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि **इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन** आकाशगंगा में चुंबकीय क्षेत्रों के साथ एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं।

इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन के बारे में

- इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन **लाल दानव (Red giants)** जैसे तारों की ठंडी बाहरी परतों में बनते हैं।
- ये विकिरण दबाव, तारकीय पवनों, या **तारकीय विस्फोटों के माध्यम** से अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं।
- **संरचना:** इन कणों में अमॉर्फस सिलिकेट और कार्बनयुक्त पदार्थ पाए जाते हैं।
- **तारा निर्माण में भूमिका:** इंटरस्टेलर डस्ट गैस के बादलों को ठंडा और घना बना देती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण वे सिकुड़कर नए तारों का निर्माण कर देते हैं।

कॉफी

कर्नाटक के **कॉफी उत्पादक क्षेत्र (चिकमगलुरु, कूर्ग और हसन)** में लम्बे समय तक होने वाली बारिश और ठंड के कारण कॉफी के बागानों को नुकसान पहुंचा है।

कॉफी की खेती के बारे में

- भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत **बाबा बुदन** ने **17वीं शताब्दी** में **चिकमंगलूर (कर्नाटक)** में की थी।
- **खेती के लिए अनुकूल दशाएं:** उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 15-28 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150-250 सेंटीमीटर, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, छायादार क्षेत्र।
- **अन्य दशाएं:** इसकी खेती के लिए **पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त** होते हैं।
- **विश्व में अग्रणी कॉफी उत्पादक देश: ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश** है। **भारत अब सातवां** सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है।
- **भारत:** भारत मुख्य रूप से **अरेबिका और रोबस्टा कॉफी** का उत्पादक और निर्यातक है।
  - **कॉफी के बागान:** मुख्यतः **नीलगिरि क्षेत्र,** जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं।
- **उत्पादन राज्य: शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक (70%) है।** इसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर क्षेत्र का स्थान आता है।

गिद्ध

असम के एक फाउंडेशन ने **भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल** लॉन्च किया।

गिद्धों के बारे में

- **भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है:** स्लेडर-बिल्ड वल्चर, व्हाइट-रंप्ड वल्चर, रेड-हेडेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफ़ॉन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, इंडियन वल्चर, बियर्डेड वल्चर, यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर।
- **महत्व:** गिद्ध मृत जानवरों का मांस भक्षण करके वातावरण को साफ-सुथरा रखते हैं।
- **गिद्धों के समक्ष खतरे: डिक्लोफेनाक** जैसे विषाक्त **नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs)** से इलाज किए गए मृत मवेशियों का भक्षण, पर्यावास को नुकसान, बिजली के तारों से झटका लगना, भोजन की कमी और मानवीय गतिविधियां।
- **संरक्षण हेतु पहलें: गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (VCBC)** - रानी (असम) और पिंजौर (हरियाणा) में स्थापित; **भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025,** आदि।

नालंदा विश्वविद्यालय

भूटान के प्रधान मंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की।

प्राचीन नालंदा महाविहार के बारे में

- **स्थापना: 5वीं शताब्दी में** गुप्त वंश के सम्राट **कुमारगुप्त ने की थी।**
- **स्वरूप:** यह **बिहार के राजगीर** में स्थित था। यह **प्राचीन भारत में** उच्चतर शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा के अन्य बड़े केंद्र **तक्षशिला** और **विक्रमशिला** थे।
  - **नालंदा विश्व का** पहला आवासीय विश्वविद्यालय था।
  - वर्तमान में, यह **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।**
- **संरक्षक:** इसे कन्नौज के राजा **हर्षवर्धन** (7वीं शताब्दी ईस्वी) और **पाल शासकों** (8वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी) सहित कई अन्य शासकों ने संरक्षण दिया था।
- **विद्वान:** यहां **चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया** से कई **विद्वान अध्ययन के लिए आते थे।**
  - चीन के विद्वान **ह्वेनसांग (ह्वेनसांग)** ने नालंदा की वास्तुकला, परिवेश और विद्वत्तापूर्ण परम्पराओं को दर्ज किया था।
- **पतन:**
  - 9वीं शताब्दी से **पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपरा के विकास को बढ़ावा देने** के कारण इसका पतन आरंभ हुआ।
  - **1200 ई. के आसपास** बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

जर्मनी (राजधानी: बर्लिन)

प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

भौगोलिक अवस्थिति

- जर्मनी यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है।
- **सीमावर्ती देश:** इसके उत्तर में **डेनमार्क;** पूर्व में **पोलैंड और चेक गणराज्य;** दक्षिण में **ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड;** और पश्चिम में **फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड** हैं।
- **सीमावर्ती जल निकाय:** इसके उत्तर-पूर्व में **बाल्टिक सागर** और उत्तर-पश्चिम में **उत्तरी सागर (नॉर्थ-सी)** है। ये दोनों **कील नहर से जुड़े हुए हैं।**

भौगोलिक विशेषताएं

- **महत्वपूर्ण नदियाँ:** राइन (सबसे लंबी नदी), एल्बे, डेन्यूब।
- **जलवायु:** शीतोष्ण, हल्की सर्दियाँ और गर्म ग्रीष्मकाल; वर्ष भर वर्षा होती है।
- **प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:** आल्प्स और बवेरियन हाइलैंड्स।
- **लेक कॉन्स्टेंस:** ताजा जल की सबसे बड़ी झील।